प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–9, लखनऊ।

ई–मेल / स्पीड–पोस्ट

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

संख्या :– 2111 /9–50 / 2016, दिनांक :– 01 नवम्बर, 2021

विषय :– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ, लखनऊ में योजित अवमानना याचिका संख्या–1109(सी) / 2016 श्रीमती कुतुबन्निशां बनाम राजशेखर जिलाधिकारी लखनऊ में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण की अनुमति ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि से प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ, लखनऊ में योजित अवमानना याचिका संख्या–1109(सी) / 2016 श्रीमती कुतुबन्निशां बनाम राजशेखर जिलाधिकारी लखनऊ में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण की अनुमति ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि से प्रदान किये जाने के संबंध में निर्गत परिषद पत्र संख्या–969ए / 9–50 / 2016, दिनांक 19.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत अवमानना वाद में मा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 के अनुपालन में परिषद के पोर्टल पर जनपदवार सीमा स्तम्भों के चिन्हांकन एवं उनके निर्माण हेतु सम्भावित धनराशि के व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में परिषद पत्र संख्या–916 / 9–50 / 2016 दिनांक 12.06.2018 द्वारा शासन को प्रदेश में कुल 197474 नयें स्तम्भ लगायें जाने में कुल व्यय रू0–21,72,21,400 / –(रू0–इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) जो सम्भावित धनराशि है, समेकित गांव निधि से सीमा स्तम्भ लगाये जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। शासन के पत्र संख्या–546 / एक–9–2019 दिनांक 26. 04.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा समेकित (गांव निधि) से व्यय करने की अनुमति निम्न प्रकार प्रदान की गयी है:–"**प्रस्ताव अनुसार कुल 197474 नये स्तम्भ लगाये जाने में कुल सम्भावित व्यय रू0–21,72,21,400 / –(रू0–इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) का भुगतान जिला समेकित (गांव निधि) से किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा–69(3)(ध) में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन कराते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिलेवार सम्भावित व्यय की उपलब्धता समेकित (गांव निधि) में जिलेवार स्वीकृत धनराशि से अधिक न हो।**"

शासन की अधिसूचना संख्या 1560 / एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 28.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 (छायाप्रति संलग्न) प्रख्यापित की गयी है जिसके नियम–7 में निम्नवत व्यवस्था दी गयी है :–

राजस्व ग्रामों की सीमाओं का निर्धारण एवं सीमांकन हेतु ग्राम सीमा स्तम्भों का निर्माण और उनकी स्थापना, समय–समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जायेगी।

राजस्व ग्राम सीमा के अनुरक्षण एवं रख–रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत उत्तादायी होगा और इस प्रयोजन हेतु ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि में उपलब्ध निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा।

जिला समेकित ग्राम निधि से कराये जाने हेतु शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुपालन में जनपदवार ग्राम सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण/पुनर्निर्माण/स्थापना/पुर्नस्थापना एवं उनके सापेक्ष व्यय की जाने वाली सम्भावित धनराशि की स्थिति निम्नवत् है :–

कमांक	जनपद का नाम	जनपदवार लगाये जाने वाले नये स्तम्भों की संख्या।	सम्भावित धनराशि
1	2	3	4
1	आगरा	188	206800–00
2	अलीगढ़	780	858000–00
3	इलाहाबाद	997	1096700–00
4	अम्बेडकरनगर	752	827200–00
5	अमेठी	700	770000–00
6	अमरोहा	1211	1332100–00
7	औरय्या	01	1100–00
8	आजमगढ़	789	867900–00
9	बदायूं	596	655600–00
10	बागपत	1473	1620300–00
11	बहराइच	1465	1611500–00
12	बलिया	1383	1521300–00
13	बलरामपुर	1397	1536700–00
14	बांदा	5152	5667200–00
15	बाराबंकी	3159	3474900–00
16	बरेली	7445	8189500–00
17	बस्ती	19445	21389500–00
18	बिजनौर	2203	2423300–00
19	बुलन्दशहार	756	831600–00
20	चन्दौली	7261	7987100–00
21	चित्रकूट	3885	4273500–00
22	देवरिया	3929	4321900–00
23	एटा	2641	2905100–00
24	इटावा	549	603900–00
25	अयोध्या	146	160600–00
26	फर्रुखाबाद	3780	4158000–00
27	फतेहपुर	86	94600–00
28	फिरोजाबाद	57	62700–00
29	गौतमबुद्धनगर	492	541200–00
30	गाजियाबाद	259	284900–00
31	गजीपुर	781	859100–00
32	गोण्डा	01	1100–00
33	गोरखपुर	16403	180043300–00
34	हमीरपुर	279	306900–00
35	हापुड़	735	808500–00

36	हरदोई	2536	2789600—00
37	हाथरस	1314	1445400—00
38	जालौन	4788	5266800—00
39	जौनपुर	1292	1421200—00
40	झांसी	4367	4803700—00
41	कन्नौज	4198	4617800—00
42	कानपुर देहात	383	421300—00
43	कानपुर नगर	1996	2195600—00
44	कासगंज	5603	6163300—00
45	कौशाम्बी	3254	3579400—00
46	कुशीनगर	6852	7537200—00
47	लखीमपुर—खीरी	7986	8784600—00
48	ललितपुर	2402	4622200—00
49	लखनऊ	1407	1547700—00
50	महोबा	885	973500—00
51	महाराजगंज	5962	6558200—00
52	मैनपुरी	2448	2692800—00
53	मथुरा	947	1041700—00
54	मऊ	158	173800—00
55	मेरठ	539	592900—00
56	मिर्जापुर	4932	5425200—00
57	मुरादाबाद	1561	1717100—00
58	मुजफ्फरनगर	1045	1149500—00
59	पीलीभीत	2879	3166900—00
60	प्रतापगढ़	931	1024100—00
61	रायबरेली	2595	2854500—00
62	रामपुर	939	1032900—00
63	सन्तकबीर नगर	4530	4983000—00
64	सन्तरविदास नगर	4365	4801500—00
65	सहारनपुर	2248	2466200—00
66	सम्भल	756	831600—00
67	शाहजहांपुर	3343	3677300—00
68	शामली	665	731500—00
69	श्रावस्ती	428	470800—00
70	सिद्धार्थनगर	2458	2703800—00
71	सीतापुर	2220	2442000—00
72	सोनभद्र	2585	2843500—00
73	सुल्तानपुर	247	271700—00
74	उन्नाव	5505	6055500—00
75	वाराणसी	955	1050500—00
	कुल योग	**197474**	**217221400—00**

अतः शासन के पत्र संख्या—546 /एक—9—2019 दिनांक 26.04.2019 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में लगाये जाने वाले 1,97,474 ग्राम सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण/पुनर्निर्माण/स्थापना/पुर्नस्थापना के लिए तालिका में उल्लिखित जनपदवार सीमा स्तम्भों की संख्या एवं उसकें निर्माण हेतु सम्भावित धनराशि तथा कुल सीमा स्तम्भों (सिहद्दों)

1,97,474 के निर्माण हेतु उल्लिखित कुल धनराशि रू0 21,72,21,400/— (इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) की शासन के पत्र संख्या—546/एक—9—2019 दिनांक 26.04.2019 द्वारा जिला समेकित ग्राम निधि से कराये जाने हेतु शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुपालन में ग्राम सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण/पुनर्निर्माण/ स्थापना/पुर्नस्थापना करके तत्काल शासन/परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :—यथोपरि

भवदीय,

(मनीष त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि, समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

ई–मेल / स्पीड–पोस्ट

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–9, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

संख्या :– 2112 / 9–50 / 2016, दिनांक :– 03 नवम्बर, 2021

विषय :– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ, लखनऊ में योजित अवमानना याचिका संख्या–1109(सी) / 2016 श्रीमती कुतुबन्निशां बनाम राजशेखर जिलाधिकारी लखनऊ में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में सीमा स्तम्भों (सिहद्‌दों) के निर्माण की अनुमति ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि से प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ, लखनऊ में योजित अवमानना याचिका संख्या–1109(सी) / 2016 श्रीमती कुतुबन्निशां बनाम राजशेखर जिलाधिकारी लखनऊ में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में सीमा स्तम्भों (सिहद्‌दों) के निर्माण की अनुमति ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि से प्रदान किये जाने के संबंध में निर्गत परिषद पत्र संख्या–969ए / 9–50 / 2016, दिनांक 19.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) एवं परिषद पत्र संख्या-2111/ 9–50 / 2016, दिनांक03.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत अवमानना वाद में मा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 के अनुपालन में परिषद के पोर्टल पर जनपदवार सीमा स्तम्भों के चिन्हांकन एवं उनके निर्माण हेतु सम्भावित धनराशि के व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में परिषद पत्र संख्या–916 / 9–50 / 2016 दिनांक 12.06.2018 द्वारा शासन को प्रदेश में कुल 197474 नये स्तम्भ लगाये जाने में कुल व्यय रू0–21,72,21,400 / –(रू0–इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) जो सम्भावित धनराशि है, समेकित गांव निधि से सीमा स्तम्भ लगाये जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। शासन के पत्र संख्या–546 / एक–9–2019 दिनांक 26.04.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा समेकित (गांव निधि) से व्यय करने की अनुमति निम्न प्रकार प्रदान की गयी है:–**"प्रस्ताव अनुसार कुल 197474 नये स्तम्भ लगाये जाने में कुल सम्भावित व्यय रू0–21,72,21,400 / –(रू0–इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) का भुगतान जिला समेकित (गांव निधि) से किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा–69(3)(ध) में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन कराते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिलेवार सम्भावित व्यय की उपलब्धता समेकित (गांव निधि) में जिलेवार उपलब्ध धनराशि से अधिक न हो।"**

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम सीमा स्तम्भों (सिहद्‌दों) के निर्माण / पुनर्निर्माण / स्थापना / पुर्नस्थापना निम्न निर्देशानुसार की जायेगी :–

1–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम–7 में दी गयी

—2—

व्यवस्था के अनुक्रम में लगाये जाने वाले ग्राम सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) को आर0सी0सी0 का तैयार कराया जाय। एक सीमा स्तम्भ का वजन–05 मन (200 किलो ग्राम), शिखर (Top) माप–8"X8", तल (Base) की माप 14"X14", बगल की लम्बाई–36" होगी। जिसमें से एक तिहाई भाग 12" परिष्कृत (Dressed) जमीन के ऊपर रखा जायेगा तथा शेष दो तिहाई भाग 24" अपरिष्कृत (Undressed) जमीन के नीचे दबा दिया जायेगा। सीमा स्तम्भ का नमूना विशिष्ट विवरण भूलेख नियमावली के अध्याय–58 के प्रस्तर–590 में उल्लिखित है।

2–सीमा स्तम्भ का वजन किसी भी दशा में 05 मन (200 किलो ग्राम) से कम नहीं होना चाहिए इसमें पर्याप्त मात्रा में लोहे की सरिया का उपयोग किया जायगा।

3–राजस्व ग्राम सीमा स्तम्भों के अनुरक्षण एवं रख–रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत उत्तादायी होगा और इस प्रयोजन हेतु ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि में उपलब्ध निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा।

4–प्रत्येक जनपद द्वारा परिषद को उपलब्ध करायी गयी सीमा स्तम्भों की संख्या से अधिक सीमा स्तम्भों का निर्माण/पुनर्निर्माण/स्थापना/पूर्नस्थापना नहीं कराया जायेगा।

5–सीमा स्तम्भ का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं नियमों के आलोक में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार कराया जाय।

6–सभी सीमा स्तम्भों की स्थापना मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

7–सभी स्तम्भों के निर्माण से पूर्व एवं बाद में अक्षांश व देशान्तर उनकी कोडिंग के अनुसार निर्धारित कर सुरक्षित रखे जायेंगे।

8–सभी स्तम्भों के अक्षांश व देशान्तर को राजस्व परिषद के पोर्टल पर डाला जायेगा एवं इनकी हार्ड कापी भी रखी जायेगी।

9–राजस्व ग्रामों की सीमा पर स्थापित सीमा स्तम्भों को सीमांकित करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह अपने मूल स्थान पर स्थापित है। यदि नही तो मूल स्थान पर स्थापित किया जाये।

10–यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि इन सीमा स्तम्भों को स्थापित करने के पश्चात कोई भी स्तम्भ लगाने से अवशेष न रह जाये। लगाये गये सीमा स्तम्भों के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही भुगतान किया जाये।

11–बिन्दु संख्या–9 व 10 में दी गयी शर्तो के पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र एस0डी0एम0 द्वारा दे दिए जाने के बाद ही भुगतान किया जाए।

अतः अनुरोध है कि अपने–अपने जनपदों में उक्त निर्देशानुसार ग्राम सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण/पुनर्निर्माण/स्थापना/पूर्नस्थापना का कार्य कराकर कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि अनुपालन की स्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक :–यथोपरि

भवदीया,

(मनीष त्रिघाठिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि, समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–9, लखनऊ।

ई–मेल / स्पीड–पोस्ट

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

संख्या :– 2111 /9–50/2016, दिनांक :– 03 नवम्बर, 2021

विषय :– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ, लखनऊ में योजित अवमानना याचिका संख्या–1109(सी)/2016 श्रीमती कुतुबन्निशां बनाम राजशेखर जिलाधिकारी लखनऊ में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण की अनुमति ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि से प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ, लखनऊ में योजित अवमानना याचिका संख्या–1109(सी)/2016 श्रीमती कुतुबन्निशां बनाम राजशेखर जिलाधिकारी लखनऊ में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण की अनुमति ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि से प्रदान किये जाने के संबंध में निर्गत परिषद पत्र संख्या–969ए/9–50/2016, दिनांक 19.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत अवमानना वाद में मा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 के अनुपालन में परिषद के पोर्टल पर जनपदवार सीमा स्तम्भों के चिन्हांकन एवं उनके निर्माण हेतु सम्भावित धनराशि के व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में परिषद पत्र संख्या–916/9–50/2016 दिनांक 12.06.2018 द्वारा शासन को प्रदेश में कुल 197474 नये स्तम्भ लगाये जाने में कुल व्यय रू0–21,72,21,400/–(रू0–इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) जो सम्भावित धनराशि है, समेकित गांव निधि से सीमा स्तम्भ लगाये जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। शासन के पत्र संख्या–546/एक–9–2019 दिनांक 26. 04.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा समेकित (गांव निधि) से व्यय करने की अनुमति निम्न प्रकार प्रदान की गयी है:–"**प्रस्ताव अनुसार कुल 197474 नये स्तम्भ लगाये जाने में कुल सम्भावित व्यय रू0–21,72,21,400/–(रू0–इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) का भुगतान जिला समेकित (गांव निधि) से किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा–69(3)(घ) में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन कराते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिलेवार सम्भावित व्यय की उपलब्धता समेकित (गांव निधि) में जिलेवार स्वीकृत धनराशि से अधिक न हो।**"

शासन की अधिसूचना संख्या 1560/एक–1–2020–रा0–1, दिनांक 28.12.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 (छायाप्रति संलग्न) प्रख्यापित की गयी है जिसके नियम–7 में निम्नवत व्यवस्था दी गयी है :–

राजस्व ग्रामों की सीमाओं का निर्धारण एवं सीमांकन हेतु ग्राम सीमा स्तम्भों का निर्माण और उनकी स्थापना, समय–समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जायेगी।

राजस्व ग्राम सीमा के अनुरक्षण एवं रख–रखाव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत उत्तादायी होगा और इस प्रयोजन हेतु ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि में उपलब्ध निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा।

जिला समेकित ग्राम निधि से कराये जाने हेतु शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुपालन में जनपदवार ग्राम सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण/पुनर्निर्माण/स्थापना/पुर्नस्थापना एवं उनके सापेक्ष व्यय की जाने वाली सम्भावित धनराशि की स्थिति निम्नवत् है :–

कमांक	जनपद का नाम	जनपदवार लगाये जाने वाले नये स्तम्भों की संख्या।	सम्भावित धनराशि
1	2	3	4
1	आगरा	188	206800–00
2	अलीगढ़	780	858000–00
3	इलाहाबाद	997	1096700–00
4	अम्बेडकरनगर	752	827200–00
5	अमेठी	700	770000–00
6	अमरोहा	1211	1332100–00
7	औरय्या	01	1100–00
8	आजमगढ़	789	867900–00
9	बदायूं	596	655600–00
10	बागपत	1473	1620300–00
11	बहराइच	1465	1611500–00
12	बलिया	1383	1521300–00
13	बलरामपुर	1397	1536700–00
14	बांदा	5152	5667200–00
15	बाराबंकी	3159	3474900–00
16	बरेली	7445	8189500–00
17	बस्ती	19445	21389500–00
18	बिजनौर	2203	2423300–00
19	बुलन्दशहर	756	831600–00
20	चन्दौली	7261	7987100–00
21	चित्रकूट	3885	4273500–00
22	देवरिया	3929	4321900–00
23	एटा	2641	2905100–00
24	इटावा	549	603900–00
25	अयोध्या	146	160600–00
26	फर्रुखाबाद	3780	4158000–00
27	फतेहपुर	86	94600–00
28	फिरोजाबाद	57	62700–00
29	गौतमबुद्धनगर	492	541200–00
30	गाजियाबाद	259	284900–00
31	गजीपुर	781	859100–00
32	गोण्डा	01	1100–00
33	गोरखपुर	16403	180043300–00
34	हमीरपुर	279	306900–00
35	हापुड़	735	808500–00

36	हरदोई	2536	2789600—00
37	हाथरस	1314	1445400—00
38	जालौन	4788	5266800—00
39	जौनपुर	1292	1421200—00
~~40~~	~~झांसी~~	~~4367~~	~~4803700—00~~
41	कन्नौज	4198	4617800—00
42	कानपुर देहात	383	421300—00
43	कानपुर नगर	1996	2195600—00
44	कासगंज	5603	6163300—00
~~45~~	~~कौशाम्बी~~	~~3254~~	~~3579400—00~~
46	कुशीनगर	6852	7537200—00
47	लखीमपुर—खीरी	7986	8784600—00
48	ललितपुर	2402	4622200—00
49	लखनऊ	1407	1547700—00
~~50~~	~~महोबा~~	~~885~~	~~973500—00~~
51	महाराजगंज	5962	6558200—00
52	मैनपुरी	2448	2692800—00
53	मथुरा	947	1041700—00
54	मऊ	158	173800—00
~~55~~	~~मेरठ~~	~~539~~	~~592900—00~~
56	मिर्जापुर	4932	5425200—00
57	मुरादाबाद	1561	1717100—00
58	मुजफ्फरनगर	1045	1149500—00
59	पीलीभीत	2879	3166900—00
~~60~~	~~प्रतापगढ़~~	~~931~~	~~1024100—00~~
61	रायबरेली	2595	2854500—00
62	रामपुर	939	1032900—00
63	सन्तकबीर नगर	4530	4983000—00
64	सन्तरविदास नगर	4365	4801500—00
~~65~~	~~सहारनपुर~~	~~2248~~	~~2466200—00~~
66	सम्भल	756	831600—00
67	शाहजहांपुर	3343	3677300—00
68	शामली	665	731500—00
69	श्रावस्ती	428	470800—00
~~70~~	~~सिद्धार्थनगर~~	~~2458~~	~~2703800—00~~
71	सीतापुर	2220	2442000—00
72	सोनभद्र	2585	2843500—00
73	सुल्तानपुर	247	271700—00
74	उन्नाव	5505	6055500—00
~~75~~	~~वाराणसी~~	~~955~~	~~1050500—00~~
	कुल योग	**197474**	**217221400—00**

अतः शासन के पत्र संख्या—546 /एक—9—2019 दिनांक 26.04.2019 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में लगाये जाने वाले 1,97,474 ग्राम सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण/पुनर्निर्माण/स्थापना/पुर्नस्थापना के लिए तालिका में उल्लिखित जनपदवार सीमा स्तम्भों की संख्या एवं उसके निर्माण हेतु सम्भावित धनराशि तथा कुल सीमा स्तम्भों (सिहद्दों)

1,97,474 के निर्माण हेतु उल्लिखित कुल धनराशि रू0 21,72,21,400/— (इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) की शासन के पत्र संख्या—546/एक—9—2019 दिनांक 26.04.2019 द्वारा जिला समेकित ग्राम निधि से कराये जाने हेतु शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुपालन में ग्राम सीमा स्तम्भों (सिहद्दों) के निर्माण/पुनर्निर्माण/ स्थापना/पुर्नस्थापना करके तत्काल शासन/परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :—यथोपरि

भवदीय,

(मनीष त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि, समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संलग्नक -4

क्रम-संख्या—280 (क—1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 दिसम्बर, 2020
पौष 8, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग—1

संख्या 1560 / एक-1—2020-रा0-1
लखनऊ, 29 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0 आ0—468

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नियम 16 में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :— — नियम 16 का संशोधन

(7) राजस्व ग्रामों की सीमाओं का निर्धारण एवं सीमांकन हेतु ग्राम सीमा स्तम्भों का निर्माण और उनकी स्थापना, समय-समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जायेगी। राजस्व ग्राम सीमा के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगा और इस प्रयोजन हेतु ग्राम निधि अथवा समेकित ग्राम निधि में उपलब्ध निधियों का प्रयोग किया जा सकेगा।

(8) किसी राजस्व ग्राम के विभिन्न गाटों/भूखण्डों के सीमांकन हेतु उनकी मेड़बंदी और गाटा स्तम्भों का निर्माण तथा उनकी स्थापना समय-समय पर जारी परिषद के आदेशों के अनुसार की जाएगी। गाटा स्तम्भों के निर्माण और गाटे की मेड़बंदी पर व्यय का वहन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो संहिता की धारा 24 के अधीन सीमांकन वाद दायर किया हो।

(9) ग्रामों की सीमा पर स्थित सभी ग्राम सीमा स्तम्भों के अनन्य कोड का अवधारण करने और उनके अक्षांश व देशान्तर का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

(क) सीमा स्तम्भ दो, तीन अथवा चार ग्रामों की सीमा पर स्थित हो सकता है। सर्वप्रथम आसन्नवर्ती (Adjacent) ग्रामों, जिनकी सीमा पर सीमा स्तम्भ अवस्थित हैं, में से सबसे कम ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम का कोड (6 अंक) लिखा जायेगा। इसके पश्चात् सीमा स्तम्भ के आसन्नवर्ती दूसरे राजस्व ग्राम का ग्राम कोड (6 अंक) लिखा जायेगा, जिसका कोड प्रथम ग्राम के कोड से अधिक किन्तु तृतीय ग्राम, यदि कोई हो, के कोड से कम हो। इसके पश्चात् उक्त दोनों राजस्व ग्रामों में से न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले ग्राम के कम अंक वाले गाटा संख्या (5 अंक), जिसकी सीमा पर स्तम्भ स्थित हो, उसका नम्बर लिया जायेगा। सबसे अन्त में सीमा स्तम्भ का क्रमांक (2 अंक) लिखा जायेगा। इस प्रकार उस सीमा स्तम्भ का 19 अंक का अनन्य कोड बन जायेगा।

इसी प्रकार अगले स्तम्भ में अनन्य कोड का अवधारण करने के लिये न्यूनतम ग्राम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम के कोड और अगले गाटा संख्या, जिसमें अगला स्तम्भ स्थित हो, का प्रयोग उसी रीति से किया जायेगा जैसा कि उपरोक्तानुसार उल्लिखित है।

(ख) किसी ग्राम के सभी स्तम्भों में कोड अवधारण को पूरा किये जाने के पश्चात् अन्य ग्रामों में पुनः उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। अगले ग्राम के जिन स्तम्भों की कोडिंग, कम कोड संख्या वाले राजस्व ग्राम के साथ हो चुकी हो, उनको छोड़ते हुए अन्य स्तम्भों को पुनः 01 से संख्या प्रदान करते हुए कोडिंग की जायेगी।

(ग) ऐसे किसी ग्राम, जिसकी सीमा उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा नेपाल देश से मिलती है, के सीमा स्तम्भों की कोडिंग करते समय ऐसी सीमा पर अवस्थित प्रथम ग्राम के रूप में उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित ग्राम का जनगणना कोड लिया जायेगा जबकि सम्बन्धित राज्य के द्वितीय ग्राम कोड के लिये 06 अंक के ग्राम कोड निम्नवत् लिये जायेंगे :-

1-नेपाल	NEPAL0
2-उत्तराखण्ड	UKD000
3-हिमाचल प्रदेश	HIMP00
4-हरियाणा	HR0000
5-दिल्ली	DELHI0
6-राजस्थान	RAJ000
7-मध्यप्रदेश	MP0000
8-छत्तीसगढ़	CHH000
9-झारखण्ड	JHAR00
10-बिहार	BIHAR0

(घ) ग्रामों की सीमाओं पर स्थित सीमा स्तम्भों की कोडिंग के पश्चात् उनके अक्षांश एवं देशान्तर निर्धारित किये जायेंगे, जिससे सीमा स्तम्भों के गायब या नष्ट हो जाने पर उनको उसी स्थान पर पुनर्स्थापित किया जा सके।

ई–मेल / फैक्स मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण / शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–9, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 969 A / 9–50 / 2016, दिनांक: 19 अगस्त, 2019

विषय:–मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ में विचाराधीन अवमानना याचिका सख्या–1109(सी) / 2016 श्रीमती कुतुबुन्निशा बनाम श्री राजशेखर,जिलाधिकारी, लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राजस्व ग्रामों के सीमा–स्तम्भों की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में परिषद के पत्र संख्या 660 / 9–50 / 2016 दिनांक–10, जून 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम सीमा स्तम्भों की कोडिंग, भौतिक सत्यापन, मरम्मत, पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत एवं स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

"1– जनपद स्तर से प्रेषित की गयी सूचनाओं के अनुसार परिषदादेश संख्या–606 / 9–50 / 2016 दिनांक 27–4–2018 (छायाप्रति संलग्न) एवं अनुवर्ती परिषदादेश सं0 916 / 9–50 / 2016 दिनांक 12–6–2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में नये सीमा स्तम्भ लगाये जाने के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय रु0 21,72,21,400 / – (रुपये इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) का भुगतान जिला समेकित (गांव निधि) कराने हेतु शासन से शासकीय अनुमति मांगी गयी, जिसके सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–546 / एक–9–2019 दिनांक 26–4–2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपरिवर्णित जनपदवार प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि *"प्रस्तावानुसार कुल 197474 नये सीमा स्तम्भ लगाये जाने में कुल सम्भावित व्यय रु0 21,72,21,400 / –(रुपये इक्कीस करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) का भुगतान जिला समेकित (गांव निधि) से किये जाने हेतु इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा–69(3)(घ) में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन कराते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिलेवार सम्भावित व्यय की उपलब्धता समेकित (गांव निधि) में जिलेवार उपलब्ध धनराशि से अधिक न हो।"*

तहसीलों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की समेकित संख्याओं के आधार पर अपेक्षित सीमा स्तम्भों को, माप के अनुसार जनपद स्तर से बनवाकर तहसीलों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य हेतु राजकीय निर्माण एजेन्सी का चयन, जिलाधिकारी जनपद में अपने विवेकानुसार, शासनादेश संख्या ई–8–157/दस–2013–1074/2012 दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा निर्माण कार्यों हेतु नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों (छायाप्रति संलग्न) में से, जिसकी जनपद में सामान्य ख्याति अच्छी हो, से करेंगे।

2– सीमा स्तम्भों को बनवाये जाने पर आने वाली लागत का भुगतान सुसंगत वित्तीय प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी नियमानुसार जिला समेकित ग्राम निधि से कराना सुनिश्चित करेगें।

3– उल्लेखनीय है कि उपरोक्त पत्र में सीमा स्तम्भों को कंक्रीट, सीमेन्ट व सरिया से निर्मित होने के आधार पर सम्भावित लागत का आगणन किया गया था। परन्तु भूमि–लेख नियमावली में पत्थर के सीमा स्तम्भों को लगाये जाने की व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में कंक्रीट, सीमेन्ट व सरिया से निर्मित सीमा स्तम्भों को लगाये जाने से पूर्व भू–लेख नियमावली में संशोधन करना होगा, जिसका प्रस्ताव परिषद द्वारा शासन को प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु अभी तक नियमावली में संशोधन सम्बन्धी निर्णय से शासन द्वारा अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि क्षतिग्रस्त एवं विलुप्त सीमा स्तम्भ जिनकी मरम्मत/पुनर्स्थापना की जानी है, उनके चिन्हांकन की पुनः पुष्टि कराते हुये गणना करा ली जाये, एवं उपरोक्त निर्देशों के अनुसार जनपद में कार्यदायी संस्था का चयन भी कर लिया जाये, परन्तु कंक्रीट के सीमा स्तम्भों के निर्माण हेतु नियमावली में अपेक्षित संशोधनोपरान्त ही कार्यादेश निर्गत/वित्तीय व्यय किया जाये। कार्यादेश निर्गत/वित्तीय व्यय किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम निर्देश परिषद द्वारा नियमावली में संशोधनापरान्त पृथक से जारी किये जायेंगे।"

उपरोक्त आदेश का गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। परिषदादेश संख्या 660/9–50/2016 दिनांक 10 जून, 2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नकःयथोपरि

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उक्त–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–9, लखनऊ।

2– गार्ड फाइल हेतु।

19-8-19 O/C

आज्ञा से,

(सुनील कुमार झा)
विशेष कार्याधिकारी,
कृते आयुक्त एवं सचिव।